नम्बर व
जो इस
में

.340

3/25

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/7/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित अर्जी बद जरिए पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली बैनामा सुधार के नम्बर मे दर्ज हो पत्रावली जिला रेकर्ड भण्डार मे शामिल हो उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

10/ 1 25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
04/2018	26.10.2018	01.07.2025

बउनवान

1. सूबेसिंह उर्फ सुबासिंह पुत्र श्री बिहारीलाल उम्र करीब 65 साल जाति अहीर निवासी खानपुर अहीर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र – अन्तर्गत धारा 136
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

श्री हंसराज यादव :– प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि आराजी हाल ख०न० 1292/1119 रकबा 0.70 हैक्०, वाके ग्राम सिहाली खुर्द तह० मुण्डावर व आराजी ख0न0 27 रकबा 0.92 हैक0, का 1/3 भाग वाके ग्राम नाहरखेडा तह० मुण्डावर में स्थित है। जो आराजी इस प्रार्थना पत्र में विवादित कहलायेगी।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है तथा मिन प्रार्थी आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।
3. यह है कि उक्त विवादित ख० नम्बरान में मिन प्रार्थी का नाम राजस्व रिर्कोड में सूबेसिंह पुत्र बिहारीलाल जाति अहीर निवासी खानपुर अहीर अंकित है, जबकी प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सुबासिंह पुत्र श्री बिहारीलाल अंकित है, प्रार्थी को गांव में दो नाम सुबासिंह व सुबेसिंह के नाम से जानते है, जबकी प्रार्थी एक ही है, नाम दो है, इस कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रिर्कोड में अलग दर्ज होने व दस्तावेजात में अलग नाम दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है तथा कानूनी अड़चन पैदा होती है तथा प्रार्थी को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है, इसलिए उक्त विवादित आराजीयत में मिन प्रार्थी का नाम सुबासिंह के आगे उर्फ लगाकर, सुबेसिहं दर्ज कर, राजस्व रिकॉड शुद्ध किया जावे। राजस्व रिर्कोड व अन्य दस्तावेजात की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।
4. यह है कि आराजी ख०न० 1292/1119 रकबा 0.70 हैक्०, वाके ग्राम सिहाली खुर्द तह० मुण्डावर के राजस्व रिर्कोड में राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी के गांव का नाम साकिन देह दर्ज कर दिया, जबकी मिन प्रार्थी का गांव खानपुर अहीर है तथा राजस्व कर्मचारियों को साकिन देह के स्थान पर गांव खानपुर अहीर दर्ज कर, राजस्व रिकॉड शुद्ध किया जाये।
5. यह है कि प्रार्थी को उक्त राजस्व रिकॉड में गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब दिनांक 16/8/2018 को मिन प्रार्थी को राजस्व रिकॉड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिर्कोड की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर मिन प्रार्थी अप्रार्थी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकॉड दूरुस्त करने बाबत कहा तो अप्रार्थी ने सक्षम अदालत श्रीमान से

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आदेश कराने बाबत कहा, जिस पर अविलम्ब ही प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :—

- अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, आराजी हाल ख०न० 1292/1119 रकबा 0.70 है०, वाके ग्राम सिहाली खुर्द तह० मुण्डावर व आराजी ख०न० 27 रकबा 0.92 है०, का 1/3 भाग वाके ग्राम नाहरखेडा तह० मुण्डावर में मिन प्रार्थी के नाम सुबासिंह के आगे उर्फ लगाकर, सुबासिंह उर्फ सुबेसिंह दर्ज किया जावे व आराजी ख0न0 1292/1119 रकबा 0.70 है०, वाके ग्राम सिहाली खुर्द में मिन प्रार्थी के गांव का नाम खानपुर अहीर दर्ज किया जाकर, राजस्व रिकॉड शुद्ध किया जाने के आदेश फरमाया जाने की कृपा करे। महति कृपा होगी।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र PW-1 सुबेसिंह उर्फ सुबासिंह एवं शपथ पत्र PW-2 रामसिंह यादव, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, भूतपूर्व सैनिको का पहचान पत्र, जामबन्दी सम्वत 2069—72 एवं जामबन्दी सम्वत 2070—73 पेश की है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में बहस के दौराने कथन कहे कि प्रार्थी का नाम विवादित आराजी के रिकोर्ड में सुबेसिंह राजस्व रिकोर्ड दर्ज है, जो गलत है। विविदीत आराजी मे प्रार्थी की भूमि ग्राम सिहाली खुर्द मे होने के कारण प्रार्थी के गांव का नाम साकिन देह दर्ज रिकार्ड है, जो गलत है। क्योकि प्रार्थी का दस्तावेजी सही नाम सुबासिंह है एवं प्रार्थी का निवास स्थान ग्राम खानपुर अहीर है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सुबेसिंह के स्थान पर सुबासिंह उर्फ सुबेसिंह दर्ज किया जावें एवं साकिन देह की जगह प्रार्थी का गांव खानपुर अहीर दर्ज किया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सुबासिंह है एवं प्रार्थी का पता ग्राम खानपुर अहीर है। इसलिए यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र को स्वीकर किया जाता है कि आराजी ख० नं० हाल 1292/1119 वाके ग्राम सिहाली कंला तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉड में दर्ज सुबेसिंह को कलमजन किया जाकर प्रार्थी सुबासिंह उर्फ सुबेसिंह के नाम का अमल दरामद किया जावें एवं राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थी का निवास स्थान साकिन देह को कलमजन किया जाकर निवास स्थान खानपुर अहीर का अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आदेश दिनांक 13/10/25 के आधार आराजी ख०न० 1292/1119/0.70 है० सिहाली कलां के स्थान पर सिहाली खुर्द व आराजी ख०न० 27/0.92 है० 1/3 [illegible] भाग नाहरखेड़ा तह० मुण्डावर के सुबेसिंह उर्फ सुबासिंह पुत्र बिहारीलाल जाति अहीर नि० खानपुर अहीर दर्ज किया जावे शेष आदेश यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)